न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.)

कम्प्यूटर आई.डी. 2020/00348
मुकदमा नम्बर 171/2020

दिनांक–10.09.2020

विजेन्द्र सिंह पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी ग्राम झरडावाली ढाणी तन ग्राम बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड
:: निर्णय ::

दिनांक 5.10.2020

वादी द्वारा एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 829, 830, 831 रकबा क्रमशः 0.06, 5.01, 0.44 हैक्टर कुल किता 03 कुल तादादी 5.5100 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

उक्त आराजी में वादी का हक हिस्से व कब्जे काश्त बाबत किसी भी प्रकार विवाद नही है। वादी का सही व वास्तविक नाम विजेन्द्र सिंह पुत्र चिमना राम है जो वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात भारत सराकर द्वारा जारी आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचाना पत्र, राजस्थान सरकार द्वाराजारी परिवार राशन कार्ड आदि में दर्ज है। वादी के पिता के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण वादी एवं वादी के भाई इन्द्राज, ओमप्रकाश, राजेन्द्र सुभाष व वादी की माता माली के नाम से भरा गया। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक वादी के नाम का सही सत्यापन किये बिना ही उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व अभिलेख मे वादी का नाम विजय सिंह पुत्र चिमनाराम गलत दर्ज कर दिया। स्व. चिमनाराम के 5 पुत्र वादी व इन्द्राज, ओमप्रकाश, राजेन्द्र सुभाष ही हुये। स्वर्गीय चिमनाराम के विजयसिंह नाम का कोई पुत्र पैदा नही हुआ है। विजेन्द्र सिंह दोनो नामों का एक ही व्यक्ति वादी ही है।

राजस्व अभिलेख में वादी का गलत नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वादी के नाम सही सत्यापन नही करने के कारण दर्ज हुआ है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम विजयसिंह दर्ज होने से वादी को अनेक परेशानियों का सामना करना पडता है तथा वादी राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाता हे। इसलिए विजयसिंह पुत्र चिमनाराम के स्थान पर वादी विजेन्द्र सिंह पुत्र चिमनाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वाद श्रीमानजी के यहां पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

वादी को गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी पूर्व में नही थी। वादी ने हल्का पटवारी से राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की तो वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी हुई जिसके तुरन्त पश्चात वादी की ओर से वाद श्रीमान जी की सेवामें पेश है।

उक्त वाद के लिए वाद कारण वादी को गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा का क्षेत्राधिकार मे पैदा हुआ है। वादी की विषय वस्तु अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार मे स्थित है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध मे निवेदन किया गया है कि वाद बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि ग्राम झरडवाली ढाणी पटवार हल्का बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 829, 830, 831 रकबा क्रमशः 0.06, 5.01, 0.44 हैक्टर कुल रकबा 03 कुल रकबा 5.51 हैक्टर मे विजयसिंह पुत्र चिमनाराम के स्थान पर वादी विजेन्द्र सिंह पुत्र चिमना राम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई है तो वादी के पक्ष में पडती है वह भी दिलवायी जावे।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से राज पैरोकार की ओर से तहसीलदार नवलगढ द्वारा वाद पत्र में सहमति प्रदान करते हुये जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड चुनाव फोटो पहचान पत्र एव परिवार राशन कार्ड के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम विजयसिंह पुत्र चिमनाराम के स्थान विजेन्द्र सिंह पुत्र चिमना राम दर्ज किया जाता है तो भूमिधारी को कोई ऐतराज नही है।

साक्ष्य वादी में वादी स्थान विजेन्द्र सिंह पुत्र चिमना राम जाति जाट निवासी झरडवाली ढाणी तन ग्राम बिरोल तहसील नवलगढ द्वारा मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र में भी वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होना स्वीकार किया गया है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विजयसिंह पुत्र चिमनाराम दर्ज किया हुआ है। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा परिवार राशन कार्ड में वादी का सही नाम स्थान विजेन्द्र सिंह पुत्र चिमना राम अंकित है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा अपने जवाब में वादी का नाम स्थान विजेन्द्र सिंह पुत्र चिमना राम सही होना अंकित किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब तहसीलदार नवलगढ़ के आधार पर वादी का नाम स्थान विजेन्द्र सिंह पुत्र चिमना राम सही होना साबित होता है। वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खसरा नम्बर 829, 830, 831 रकबा क्रमशः 0.06, 5.01, 0.44 हैक्टर कुल रकबा 03 कुल रकबा 5.51 हैक्टर में वादी का नाम विजयसिंह पुत्र चिमनाराम के स्थान पर वादी विजेन्द्र सिंह पुत्र चिमना राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5.10.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
इन्द्राज सिंह (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 171/2020 (विजेन्द्र बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू इन्द्राज सिंह (आर. ए. एस.),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05.10.2020 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खसरा नम्बर 829, 830, 831 रकबा क्रमशः 0.06, 5.01, 0.44 हैक्टर कुल रकबा 03 कुल रकबा 5.51 हैक्टर में वादी का नाम विजयसिंह पुत्र चिमनाराम के स्थान पर वादी विजेन्द्र सिंह पुत्र चिमना राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन..........–.......... मुवलिग..........–..........बावत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–...... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05 माह 10 सन 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बावत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Scanned by CamScanner